[Shri Hem Barua]

butchered. May I know what pressure our Government is bringing on the barbarous Pakistan Government?

Mr. Speaker: Order, order.

12.05 hrs.

RE. NON-CELEBRATION OF HOLI

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री और कई माननीय सदस्यों ने एक नोटिस भेजा है कि यह हाउस रेजोल्यूशन पास करे कि इस बात का खयाल रखते हुए कि ईस्ट पाकिस्तान में हिन्दुओं की ऐसी हालत हुई है, हम होली के दिन रंग नहीं उड़ायेंगे और सेलेब्रेशन्स में हिस्सा नहीं लेंगे । मगर मेरे पास इसको स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है । अगर यह रेजोल्यूशन शक्ल में हो तो इसको बैलट के अन्दर जाना चाहिये और उसके बाद यहां आना चाहिये । बिना उसके हम उसको यहां नहीं रख सकते । अगर माननीय सदस्य इस तरह की अपील करना चाहते हैं तो वे खुद अपना अधिकार रखते हैं और वे अपील कर सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आप सलाह दे सकते हैं ।

Shri P. K. Deo (Kalahandi): On a point of order, Sir. This House is a supreme body and it is a secular body. How can we make any recommendation or give any decision on a matter which is connected with religion?

Mr. Speaker: There is no need for point of order. When I am not admitting it, where is the question of any point of order? I cannot do anything in this. That finishes the matter.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ इतना निवेदन आप से करना चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान में जो हजारों की संख्या में हिन्दू मारे गये हैं, उनके साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिये रंग न खेला जाये । होली का जो धार्मिक रूप होलिका दहन है उसे मनाया जाये । यह इस दृष्टि से भी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि होली के दिन रंग वगैरह खेलने के अवसर पर झगड़े भी हो जाया करते हैं और पाकिस्तानी वृत्ति के जो लोग यहां हैं वे उससे लाभ ठाते हैं । होम मिनिस्टर से भी मैंने इस बारे में निवेदन किया था और वे भी मेरी भावना से सहमत थे । सदस्यों की भावना सारे देश में पहुंच जाये केवल मेरा यही अभिप्राय है ।

Shri Kapur Singh (Ludhiana): May I say a few words before you close this matter?

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें, यह कोई डिस्कशन नहीं है ।

Shri Kapur Singh: Not discussion, but only a statement.

Mr. Speaker: It is the same thing.

श्री बड़े (खारगोन) : होम मिनिस्टर भी चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर चाहते हैं तो वे अपनी तरफ से कोई रेजोल्यूशन दे दें ।

श्री हरि विष्णु कामत : आप अपनी राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हमें इससे पूरी सहानुभूति है लेकिन मैं इस पर डिस्कशन कैसे करने दे सकता हूं । हम सब की इसमें सहानुभूति हो, हम इससे इत्तफाक रखते हों, सब कुछ हो तो भी रेजोल्यूशन का जो ऐडमिशन है वह किसी कायदे के अन्दर होना चाहिये । मैं उसको यहां कैसे रख सकता हूं और कह सकता हूं कि उसको पास कर दिया जाये ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : राष्ट्र में सदस्यों की भावना किसी तरह मालूम होनी चाहिये ।

Shri Tyagi (Dehra Dun): Informally we all agree. No formal resolution is necessary.

श्री बड़े : होम मिनिस्टर कुछ कहना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें जवाब देने के लिये नहीं बुलाया है ।

12.08 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-FOURTH REPORT

Shri Krishnamoorthy Rao (Shimoga): Sir, I beg to present the Thirty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

STATEMENT BY MEMBER

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के पिछले अधिवेशन में दिल्ली के सेंट्रल कोआपरेटिव स्टोर के सम्बन्ध में कई बार यह चर्चा आई थी कि इस स्टोर ने उत्तर प्रदेश से बहुत सस्ते दामों पर गुड़ खरीदा और दिल्ली में भारी मुनाफे से उस गुड़ को बेचा । इस सेंट्रल कोआपरेटिव स्टोर को जिन शर्तों पर यह लाइसेंस उत्तर प्रदेश से गुड़ लाने के लिये दिया गया था उसका भी पालन नहीं किया गया और जब कि संकट काल में इस प्रकार से भारी मुनाफा कमाने वाले अन्य संगठन भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आ जाते हैं तब इस स्टोर एवं इसके संचालकों पर उस सुरक्षा अधिनियम (डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स) को क्यों नहीं लागू किया गया ।

१६-१२-६३ को इसी सम्बन्ध में एक अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ पर अनुपूरक प्रश्न करते हुए मैंने सम्बन्धित विभाग के मंत्री महोदय से यह जानना चाहा था कि इस सेंट्रल कोआपरेटिव स्टोर को जो लाइसेंस दिया गया था तो क्या लाइसेंस की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि यह स्टोर जिन को गुड़ बेचेगा, रसीद के ऊपर जिसको वह दिया जा रहा है उसका नाम और पूरा पता लिखा जायेगा । लेकिन उक्त स्टोर से जिनको गुड़ बेचा गया उसमें नाम और पूरा पता लिखने की शर्त का पालन नहीं किया गया, यदि हां, तो फिर इस स्टोर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

मंत्री महोदय (श्री अ० म० थामस) ने उसके उत्तर में कहा—"देयर इज नो सच कंडीशन इन दि लाइसेंसिंग आर्डर ।"

श्रीमन्, दिल्ली गजट एक्स्ट्रा आर्डिनरी पार्ट ४ दिनांक ६ अगस्त, १६६३ के पृष्ठ संख्या ४१५ में दिल्ली खंडसारी एंड गुड़ डीलर्ज लाइसेंसिंग आर्डर १६६३ की धारा ५ में स्पष्ट लिखा है कि "दी लाइसेंसी शैल इश्यू टू एवरी कस्टमर ए करेक्ट रिसीट आर इन वायस एज दी केस मे बी, गिविंग हिज ओन नेम, एड्रेस एंड लाइसेंस नम्बर, **दी नेम एंड दी लाइसेंस नम्बर (इफ ऐनी) आफ दी कस्टमर्ज ।"**

इस सब के होते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय ने उस समय पता नहीं किन कारणों से उक्त सेंट्रल को-आपरेटिव स्टोर की इस अवैध कार्यवाही को छिपाने के लिये सदन में अशुद्ध उत्तर दिया ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश संख्या ११५ के अन्तर्गत में पिछले सत्र में ही इस विषय को सदन में उठाना चाहता था किन्तु सत्र की समाप्ति के कारण उस समय सम्भव न हो सका । अब मैं आपके द्वारा सम्बन्धित मंत्री महोदय